फा. सं. 42(02)/पीएफ-II/2014
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
[लोक वित्त (केन्द्रीय-I)] प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
10th जनवरी, 2020

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: चालू लोक वित्तपोषित स्कीमों को जारी रखने/उनके विस्तार के संबंध में निर्देश।**

14वें वित्त आयोग की अवधि के बाद चालू स्कीमों (दोनों केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों) के संबंध में दिशा-निर्देशों पर व्यय विभाग के 23 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42(02)/पीएफ-II/2014 का संदर्भ लें। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि सभी स्कीमों को वित्त आयोग की अवधि के पूरा होने के साथ ही समाप्त किया जाना होगा और स्कीम का जारी रहना उसकी परिणामी समीक्षा पर आधारित होगा।

2. यह नोट किया गया है कि 14वें वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही है और अधिकतर स्कीमों के समापन की निर्धारित तारीखें भी वही हैं। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा दी गई है और इसकी अवधि बदल गई है। केन्द्र सरकार और राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के स्वीकार किए जाने के पश्चात् ही स्पष्ट होगी। इस दौरान, मंत्रालयों/विभागों से अन्य पक्ष मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए लंबित स्कीमों के अंतरिम विस्तार/जारी रखे जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हो रहे हैं। चालू स्कीमों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और व्यय की इष्टतम गति को बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

I. मंत्रालय/विभाग की चालू स्कीमों का मूल्यांकन/अनुमोदन होने तक, 31 मार्च, 2020 के बाद अथवा वह तारीख, जब तक के लिए स्कीमें पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं, अंतरिम विस्तार 31 मार्च, 2021 की अवधि तक अथवा वह तारीख, जब से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, जो भी पहले हो, दिया जाता है। यह उन सभी स्कीमों के लिए लागू है जिन्हें मंत्रालय/विभाग अपने कार्य-क्षेत्र, प्रकृति कवरेज में परिवर्तन किए बगैर और अतिरिक्त पदों के सृजन के बिना जारी रखना चाहते हैं। तथापि, विभाग के दिनांक 5 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24(35)/पीएफ-II/2012 के अनुसार सार्वजनिक व्यय की कार्यक्षमता और परिणामों को बढ़ाने के लिए व्यय विभाग के पास प्रशासनिक विभाग के साथ परामर्श करके किसी भी स्कीम, सब-स्कीम को विलय करने, पुनर्गठित करने या समाप्त करने का अधिकार है।

II. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय निहितार्थ वाली स्कीमों हेतु वित्त सलाहकार ऐसी सभी स्कीमों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें मंत्रालय/विभाग 14वें वित्त आयोग की अवधि के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। यह सूची, स्कीम को जारी रखने के कारणों और संभावित आउटपुट/परिणाम सहित व्यय विभाग को भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन स्कीमों की व्यय सीमा बजट प्राक्कलन 2020-21 के अनुमोदित आबंटन के अंदर होनी चाहिए।

III. 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए प्रत्येक स्कीम को जारी रखने हेतु दिया जाने वाला अनुमोदन मूल्यांकन रिपोर्ट और परिणामी समीक्षा पर आधारित होगा। मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाए ताकि मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए इसे समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके।

2. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**(डॉ. शिवाली एम. चौहान)**
**निदेशक (पीएफसी-I)**
**फोन: 23092668**
**shivali.chouhan@nic.in**

**भारत सरकार के सभी सचिव**
**सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार**
**प्रधानमंत्री कार्यालय**
**मंत्रिमंडल सचिवालय**
**नीति आयोग, रेलवे बोर्ड, आंतरिक परिचालन**